अर्जुन लाल बनाम सरकार
मुकदमा संख्याः—03/02/2025
निर्णय दिनांकः—25.08.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला—अलवर
(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :— 03/02/2025 ऑन लाईन नम्बरः—2025/12 प्रवेश तिथिः—08.01.2025

1. अर्जुन लाल गुर्जर पुत्र शिवबक्स गुर्जर आयु 71 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम बलदेवगढ तहसील टहला जिला अलवर। ....प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार टहला जिला अलवर ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री सीताराम वशिष्ठ प्रार्थी

:निर्णयः— दिनांक 25.08.2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू—राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 271 आराजी खसरा नम्बर 273/0.66, 274/0.53, 275/0.78 कुल किता 3 कुल रकबा 1.97 है0 हिस्सा 1/4 व खाता संख्या 525 खसरा संख्या 477/0.64, 478/0.30 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.94 है0 हिस्सा 1/4 वाके ग्राम बलदेवगढ तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी प्रार्थी को उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई थी। तथा उक्त आराजी प्रार्थी की पैत्रिक आराजी है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व उसके पिता नाम **अर्जुन लाल पुत्र शिवबक्श गुर्जर** की जगह सहवन से **अरजनलाल पुत्र श्योबक्स व अरजन पुत्र श्योबक्स** दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के नाम अन्य रिकार्ड में **अर्जुन लाल पुत्र शिवबक्श गुर्जर** दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सही नाम **अर्जुन लाल पुत्र शिवबक्श गुर्जर** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार टहला से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार टहला के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2025/1496 दिनांक 11.07.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार टहला की रिपोर्ट से साबित है कि **अर्जुन लाल पुत्र शिवबक्श गुर्जर** व **अरजनलाल पुत्र श्योबक्स व अरजन पुत्र श्योबक्स** एक ही व्यक्ति है। जिसका सही नाम **अर्जुन लाल पुत्र शिवबक्श गुर्जर** होना बताया गया। तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी व उसके पिता का नाम **अर्जुन लाल पुत्र शिवबक्श गुर्जर** की जगह

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला—अलवर

अर्जुनलाल बनाम सरकार
मुकदमा संख्याः—03 / 02 / 2025
निर्णय दिनांकः—25.08.2025

सहवन से **अरजनलाल पुत्र श्योबक्स व अरजन पुत्र श्योबक्स** दर्ज कर रखा है उसके स्थान पर प्रार्थी व उसके पिता का नाम **अर्जुन लाल पुत्र शिवबक्श गुर्जर** दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान—ए—बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 271 आराजी खसरा नम्बर 273 / 0.66, 274 / 0.53, 275 / 0.78 कुल किता 3 कुल रकबा 1.97 है0 खाता संख्या 525 खसरा संख्या 477 / 0.64, 478 / 0.30 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम बलदेवगढ तहसील टहला जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व उसके पिता **अर्जुन लाल पुत्र शिवबक्श गुर्जर** की जगह सहवन से **अरजनलाल पुत्र श्योबक्स व अरजन पुत्र श्योबक्स** दर्ज कर दिया। जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार टहला की रिपोर्ट दिनांक 11.07.2025 आधार कार्ड 7041 3513 5283, आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 271 आराजी खसरा नम्बर 273 / 0.66, 274 / 0.53, 275 / 0.78 कुल किता 3 कुल रकबा 1.97 है0 हिस्सा 1 / 4 व खाता संख्या 525 खसरा संख्या 477 / 0.64, 478 / 0.30 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.94 है0 हिस्सा 1 / 4 वाके ग्राम बलदेवगढ तहसील टहला जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार टहला को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में क्रमश प्रार्थी व उसके पिता का नाम अरजनलाल पुत्र श्योबक्स व अरजन पुत्र श्योबक्स दर्ज है उसके स्थान पर अर्जुन लाल पुत्र शिवबक्स दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला—अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला - अलवर (राज.)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते